क्रम	हुक्म या कार्यवाहीमदइनिशियल्स कन्हैयालाल v/s [illegible] T-9.	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए ।
	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 में पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित नहीं है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29/8/18 को पेश हो। [signature]	[signature] Rajesh
8	वकील फरीकेन उप०/SDO साहब अवकाश / दौरे पर पधारे है। पूर्वानुसार दिनांक 3/X/18 को पेश हो। [signature]	
28/1/18	तारीख पेशी जनरल नोटिस से बदली जाने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील फरीकेन उप०/SDO साहब दीगर कार्यों में व्यस्त है। पूर्वानुसार दि० 9/1/18 को पेश है। [signature]	
[illegible].01.19	पत्रावली प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली में बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश। दिनांक 30.01.19 को पेश हो। [signature]	
30/1/19	वकील फरीकैन उप०। प्रार्थना पत्र ग्राह्य स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल हुआ होकर नक्शा हुक्म हो तथा दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती तारामती वैष्णव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	प्रा0 पत्र	ता0दायरा	ता0निर्णय
30/14	अस्थायी निषेधाज्ञा	12.06.14	30.01.19

कन्हैया लाल पुत्र राजाराम आयु 60 साल जाति मीना निवासी डांगड़ा तहसील सपोटरा जिला करौली राज0

–प्रार्थी

बनाम

1. बद्री पुत्र जयलाल।
2. श्यामलाल पुत्र रामजीलाल।
3. ऋषिकेश पुत्र रामजीलाल।
4. मोहन पुत्र रामजीलाल।
5. कमल पुत्र रामजीलाल।
6. राजेश पुत्र लक्ष्मण।
7. लक्ष्मण पुत्र जयलाल।
8. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सपोटरा।
9. सबरजिस्ट्रार तहसीलदार सपोटरा।

सभी जातियान मीना निवासीयान डांगड़ा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

दर0 अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री मदनमोहन गुप्ता वकील प्रार्थी
श्री लखनलाल मीना वकील अप्रार्थीगण।

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि ग्राम हाडोती तहसील सपोटरा के आराजी खसरा नं0 99/3 रकबा 15 बीघा प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं0 1 की शामलाती भूमि है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है और शामलाती रहते थे। प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 के मुताबिक विवादित आराजीयात मे प्रार्थी का हिस्सा 1/2 व अप्रार्थी सं0 1 का हिस्सा 1/2 है। विवादित आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 की शामलाती सम्पत्ति है जिसका प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 ने मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है और उसी अनुसारी अपने अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थी नं0 1 चालाक किस्म का व्यक्ति हैं जिसने राजस्व कर्मियो से साज करके विवादित आराजीयात का खाता राजस्व रिकार्ड खसरा नं0 99/3 वाके ग्राम हाडोती का स्वयं के नाम दर्ज करा लिया जबकि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की उक्त भूमि शामलाती है अप्रार्थी नं0 1 के मन मेंब दयन्ति आ गई है इसलिए उक्त भूमि का चालाकी पूर्वक अप्रार्थी नं0 2 ता 5 के हक मे 1/3 हिस्से का वयनामा दिनांक 04.04.2014 को तस्दीक करा दिया है तथा अप्रार्थी सं0 6 व 7 के ह कमे हिस्सा 1/3 भूमि का वयनामा दिनांक 04.04.2014 को तस्दीक करा दिया है। अप्रार्थी नं0 02 ता 06 अप्रार्थी नं0 1 के सगे भाई के लड़के है व अप्रार्थी नं0 7 सगा भाई है। अप्रार्थी नं0 1 ने चालाकी पूर्वक का बिना कोई कीमत लिए अप्रार्थी नं0 2 ता 5 के हक मे हिस्सा 1/3 व अप्रार्थी नं0 6 व 7 के हक मे हिस्सा 1/3 का वयनामा कपटपूर्वक तस्दीक करा दिया है। इस कारण अप्रार्थी नं0 1 के ह कमे हुए राजस्व रिकार्ड का इन्द्राज व अप्रार्थी नं0 2 ता 7 के हक मे हुए वयनामा प्रार्थी के अधिकारो पर प्रभावहीन व शून्य है और प्रार्थी उक्त राजस्व इन्द्राज व वयनामों को अवैध घोषित कराने तथा विवादित आराजीयात मे प्रार्थी स्वयं का हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित कराने व अपने नाम का इन्द्राज कराने का अधिकारी है। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं0 1 ता 7 से मिलकर उक्त अवैध खातेदारी व

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा, जिला–करौली

Scanned by CamScanner

वयनामों इन्द्राज को निरस्त कराने के लिए कहा तो अप्रार्थी नं0 1 ता 7 ने साफ इंकार कर दिया और एलानिया धमकी दी कि हम विवादित आराजीयात का हिस्सा नही देगें ना ही बंटवारा करायेगें और उक्त भूमि के हिस्से 1/2 से लट्ठ के बल पर बेदखल करके रहेगें। इसलिए प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीयान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीयान जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी सं0 1 ता 7 ने उपस्थित न्यायालय होकर जरिये वकील अपना जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा मिथ्या एवं मनगढन्त तथ्यों पर दर्ज भूमि को पुश्तैनी दर्शाकर झूंठा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो कतई चलने योग्य नही है काबिले खारिज होने योग्य है। आराजी खसरा नं0 99 रकबा 15 बीघा भूमि जो कि वाके ग्राम हाडोती मे स्थित है मुझ अप्रार्थी सं0 1 को आवंटन शुदा भूमि है। अप्रार्थी नं0 1 को दिनांक 22.06.1961 को दर्ज भूमि का आवंटन हुआ है। यह अप्रार्थी सं0 1 की स्वर्जित भूमि है। अप्रार्थी नं0 1 द्वारा दर्ज आवंटन शुदा भूमि को उचित प्रतिफल प्राप्त कर अप्रार्थी नं0 2 ता 7 को कब्जा व जरिये वयनामा के विक्रय कर कब्जा व स्वामित्व सुपूर्द कर दिया है। विवादित भूमि से प्रार्थी का कोइ वास्ता नही है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति जमाबंदी ग्राम हाडोती तहसील सपोटरा सम्बत् 2068–71 के अनुसार अप्रार्थी सं0 1 बद्री विवादित आराजी खसरा नं0 99/3 के सेपरेट खातेदार दर्ज है जिसमे प्रार्थी का कोई हिस्सा दर्ज नही है तथा रजिस्टर्ड वयनामा की प्रस्तुत फोटो प्रति से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी सं0 1 ने उक्त विवादित आराजी नियमानुसार प्रतिफल प्राप्त कर विक्रय किया है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे नही है। अप्राथी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत आवंटन आदेश की फोटो प्रति एवं आराजी की कृषि पास बुक मे भी अप्रार्थी सं0 01 बद्री पुत्र जयलाल का अंकन है इससे यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी अप्रार्थी सं0 1 को आवंटन हुई है और पुश्तैनी नही है। प्रार्थी के तथ्यों को वाद पत्र मे साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय किया जावेगा। इसलिए सुविधा का संतुलन एव अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष मे साबित नही है। प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

(तारामती वैष्णव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner